अति–आवश्यक

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ–4(10)परावि / पीपी / जीकेएन / 2014–15 जयपुर दिनांक 17 सितम्बर, 2015

स्थायी आदेश संख्या– 20 / 2015

विभागीय परिपत्र संख्या– 17/2015 के द्वारा ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2015 भाग–1 जारी की गई थी। इस निर्देशिका के निम्न निर्देशों में संशोधन किये जाते है :–

1. निर्देश संख्या– 7.1 शिड्यूल ऑफ पॉवर्स हेतु परिशिष्ट–2 (ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2015 भाग–1) की तालिका संख्या– 3 शिड्यूल ऑफ पॉवर्स के तकनीकी स्वीकृति (संशोधन सहित) में कॉलम संख्या– 6 में निम्न शर्त / टिप्पणी और जोडी जावेगी :–

   "प्राकृतिक आपदा की स्थिति में क्षतिग्रस्त कार्यो के तत्काल सम्पादन हेतु ग्राम पंचायत द्वारा एक लाख तक की तकनीकी स्वीकृति ग्रामीण कार्य निर्देशिका– 2015 के भाग– 1 के निर्देश संख्या– 4.3 व 4.4 के अनुसार जारी की जा सकेगी।"

2. निर्देश संख्या – 9.5.1 – पंचायत समिति स्तरीय बाजार दर सर्वेक्षण एवं प्रस्तावक समिति में उप–निर्देश संख्या – 1 के अनुसार इस समिति में एक सरपंच एवं एक ग्राम सेवक (कुल 2 सदस्य) और शामिल किये जाते है। प्रतिवर्ष रोटेशन के आधार पर इन सदस्यों का चयन विकास अधिकारी द्वारा पंचायत समिति की प्रशासन व स्थापना समिति की बैठक में लॉटरी के आधार पर किया जायेगा।

3. ग्रामीण कार्य निर्देशिका– 15 भाग–1 के निर्देश संख्या– 18.1 – "राज्य स्तरीय तकनीकी अनुमोदन समिति में कम संख्या– 5 पर अंकित जिलो के आमंत्रित अधिशाषी अभियंता 3 के स्थान पर प्रत्येक संभाग से एक अधिशाषी अभियंता को प्रतिवर्ष रोटेशन के आधार पर सदस्य नियुक्त किया जाता है।"

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

16/09/2015

(श्रीमत् पाण्डेय)
प्रमुख शासन सचिव,
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

D:\Suresh\SURESH PA 2014-15.docx